न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

बलजिन्द्र सिंह आदि बनाम परविन्द्र सिंह आदि

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :- 20 /2022

प्रकरण संख्या (GCMS) :- 2022/220

26.05.2022 यह पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थी श्री पर्वत पूनियां के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील घड़साना के चक 16 एमडी के प.नं. 63/25 मु.नं 05 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 10 की 1.379 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्से तक की भूमि पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करे, उनके द्वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। बैंक के रहन होने की स्थिति में रहन मुक्त करवाने या बैंक राशि जमा करवाने के लिए यह स्थगन निष्प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करके पत्रावली दिनांक 05.07.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

21.6.22 मूल वाद पेशी में लिए जाने पर यह प्रार्थना पत्र पेशी पे लिया गया। चूंकि मूल वाद पत्र लोप्रेस के आधार पर निस्तारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र के सारहीन होने पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.05.22 निरस्त

G. by me
पर्वत पूनिया
21/6/22

की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना।